

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा बिछाई गई पाइप लाईन में प्रयुक्त 10.22375 हे० आरक्षित वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं (समय अभाव के कारण)
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

दिनांक :

स्थान : आगरा।


 (रमेश कुमार पाण्डेय)
 वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त, आगरा।
 बने संरक्षक
 आगरा वृत्त, आगरा
